

के0 वाई0 पी0 फॉर्म

1.	पेंशनर का नाम		
	पेंशन का प्रकार		पेंशनर फैमिली पेंशनर
3.	यदि क्रम(2) पेंशनर है, तो फैमिली पेंशनर का नाम तथा जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे )		(अ)नाम:- (ब)जन्म तिथि:- (दिन/महीना/ वर्ष)
4.	यदि क्रम(2) फैमिली पेंशनर है, तो पेंशनर का नाम तथा मृत्यु तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे )		(अ)नाम:- (ब) मृत्यु तिथि:- (दिन/महीना/ वर्ष)
5.	पी0पी0ओ0सं0-	6.	पी0पी0ओ0 कोड-
7.	आधार संख्या (कृपया स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे) OPTIONAL		
8.	बैंक का नाम व पता के साथ आई०एफ०एस०सी० कोड/पोस्ट आफिस का नाम व पता, जहां से पेंशन लेते हैं		
9.	बैंक/ पोस्ट ऑफिस का बचत खाता संख्या		
10.	मोबाईल संख्या	11.	पैन नम्बर (कृपया स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)
12.	ई०मेल आई० डी० (यदि कोई)		
13.	स्थाई पता:		
14.	पत्राचार का पता:		
<p><b>सहमति पत्र (नियंत्रक संचार लेखा, दूरसंचार विभाग हेतु)</b></p> <p>मैं, नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को अपना आधार संख्या का उपयोग पेंशन खाताधारक के रूप में अपनी पहचान प्रमाणित, एवं स्थापित करने तथा भुगतान करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।</p> <p>दिनांक:- स्थान:</p> <p style="text-align: right;">पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का हस्ताक्षर</p>			

नोट: उपरोक्त फॉर्म भरकर निम्नलिखित पते पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पता:-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी (पी0वी0ए0)  
(भारत सरकार, संचार मंत्रालय)  
कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा,  
उ0प्र0 (पश्चिम) मरिमण्डल, तृतीय तल  
ब्रह्मपुरी दूरभाष केन्द्र भवन, दिल्ली रोड मेरठ -250002

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग  
कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, उ0प्र0 (पश्चिम) परिमण्डल,  
ब्रह्मपुरी दूरसंचार भवन, दिल्ली रोड, मेरठ - 250002

सेवा में,

**विषय - के0वाई0पी0 फार्म (अपने पेन्शनर को जानें प्रारूप) के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

दूरसंचार विभाग के समस्त सम्मानित पेंशन धारकों/पारिवारिक पेंशन धारकों को अवगत कराना है कि आपके पेंशन के त्वरित भुगतान हेतु Comprehensive Pension Management System (SAMPANN) का संचालन किया जाना है, जिसके लिये समस्त पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर के सम्बन्धित रिकार्ड को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के पृष्ठ भाग पर छपे के0वाई0पी0 फार्म (अपने पेन्शनर को जानें प्रारूप) को भरकर, मोबाइल नम्बर और जन्म तारीख प्रमाण पत्र, पैन कार्ड तथा आधार कार्ड (वैकल्पिक) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें, जिससे आपके पेन्शन रिकार्ड में उक्त का अद्यतन किया जा सके।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी (पी0वी0ए0)